



6461

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घेतना कॉम्प्लेक्स, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 5625/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक : 21 मार्च 2017

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सीतापुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50089866768	IFSC Code ALLA0210694	95.523
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० सिधौली	वार्ड सं० 10 मो० प्रेम नगर (दक्षिणी) में संजय के घर से अजीज के घर तक, सफाकत के घर से निजाम के घर तक, संजय के घर से युनुस के घर तक, अतीकुन के घर से प्लाट तक, संजय के घर से नयीम के घर तक, नईम के घर से शरजील के घर तक, वसीद के घर से शाहिन बेगम के घर तक एवं डामर रोड से हनीफ के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.894
2	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० सिधौली	वार्ड सं० 10 मो० प्रेम नगर (दक्षिणी) में नेशलनल हाईवे से सुभान मास्टर यूनुस के घर से शलीम के प्लाट तक, रामकुमार के घर से जावेद के घर तक, हनुमान के घर से मिर्जापुर सीमा तक, पपू के घर से युनिवर्सिल स्कूल तक व मरिजद से आरती वर्मा के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण।	21.958
3	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० सिधौली	वार्ड सं० 13 मो० गौड़ी नगर (दक्षिणी) में कादिर के घर से रामेन्द्र मिश्रा के घर तक, रामेन्द्र मिश्रा के घर से इब्राहिम के घर तक व इब्राहिम के घर से इसरार मास्टर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.757
4	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० हरगाँव	वार्ड सं० 5 मो० तीर्थ में गपफार के मकान से रियाजत के मकान तक व मेराज सकील के मकान से बाजार तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.523
5	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० हरगाँव	वार्ड सं० 5 मो० तीर्थ में जाहिद की दुकान से तीर्थ रोड, लहरपुर रोड से गपफार की दुकान, लहरपुर रोड से शरफो, लहरपुर रोड से वसीम एस.एस., लहरपुर रोड से नसीर एस.एस. परवन अहमद एच.एस. से मुकेश मिश्रा के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.851



662

दूरभाष - 2286709
2286710

नव चेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
6	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० १ मो० पटेल नगर में वृजेश वर्मा के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.137
7	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० ११ मो० जुलाही टोला में मो० युनूस के मकान से असलम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.753
8	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० १ मो० पटेल नगर में मौलाना कलीम के मकान से मुमताज के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.113
9	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० ११ मो० महराजगंज में गुलजार शाह बाबा की मजार से सलेमबीर बाबा मजार तक	4.279
10	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० ११ मो० महराजगंज जाविर घोरी के मकान से केशव गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.494
11	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० ११ मो० महाराजा गंज शब्दीर के मकान से गुडिया के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य	2.149
12	सीतापुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० विसवां	वार्ड नं० ११ मो० महराजगंज में दिलदार के दुकान से लहरपुर रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.615
	योग				95.523

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और उनकी सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



८०६१३

दूरभाष— 2286709
2286710
नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्ट्रेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।।
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक